...लय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

...ख्या : 126/2018

अशोक कुमार पुत्र श्री गुलाबचन्द जाति महाजन निवासी रायथल तह0 मांगरोल जिला बारां हाल निवासी कोटा जिला कोटा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.... वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

पीठासीन अधिकारी : प्रमोद कुमार सिंधव (आर.ए.एस.)

वकील वादी : बुद्धि प्रकाश मालव

दायर दिनांक--15.10.2018

निर्णय दिनांक : 29.11.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 7 खसरा नं0 2589 रकबा 2.58 है0, खसरा नं0 2620 रकबा 1.57 है0, कुल किता 2 रकबा 4.15 है0 वाके ग्राम रायथल तह0 मांगरोल में स्थित है उक्त आराजी में वादी के पिता का नाम सहवन से हरिशंकर दर्ज हो रहा है। जबकि वादी के पिता का सही नाम गुलाबचन्द है। वादी के फोटो पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में भी वादी के पिता का नाम गुलाबचन्द दर्ज है, व ग्राम रायथल में वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 5 किता 7 रकबा 3.18 है0 में वादी का नाम अशोक कुमार पुत्र गुलाबचन्द दर्ज है। वादी अपने पिता का नाम हरिशंकर के स्थान पर गुलाबचन्द दुरूस्त करवाना चाहता है अतः वादी के पिता का नाम ग्राम रायथल की आराजी खाता संख्या 7 किता 2 रकबा 4.15 है0 के राजस्व रेकार्ड में हरिशंकर के स्थान पर गुलाबचन्द दुरूस्त करने के आदेश फरमावे।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 15.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) पैरोकार राजस्थान सरकार ने अपने पत्र दिनांक 22.11.2018 से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम रायथल की आराजी खाता संख्या 7 खसरा नं0 2589 रकबा 2.58 है0, खसरा नं0 2620 रकबा 1.57 है0, कुल किता 2 रकबा 4.15 है0 भूमि अशोक कुमार पुत्र हरिशंकर कोम महाजन सा0 देह के नाम दर्ज खाता है मुताबिक पहचान–पत्र, आधार कार्ड व पेन कार्ड वादी व प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत रायथल के आधार पर वादी के पिता का नाम गुलाबचन्द होना प्रमाणित होता है। अतः

के आधार पर वादी अशोक कुमार के पिता का नाम ग्राम रायथल की आराजी खाता संख्या ... 2589 रकबा 2.58 है0, खसरा नं0 2620 रकबा 1.57 है0, कुल किता 2 रकबा 4.15 है0 की ...नाबंदी में हरिशंकर के स्थान पर गुलाबचन्द दुरूस्त किया जाना विधि सम्मत है।

अतः पत्रावली के आद्योपान्त गहन अध्ययन एवं अवलोकन वाद पत्र वादी एवं संलग्न दस्तावेज एवं ... प्रतिपक्षी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल(लैण्ड होल्डर) एवं ग्राम पंचायत रायथल के ...णाण पत्र दिनांक 16.11.2018 एवं बहस फाईनल वकील वादी एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम रायथल की आराजी खाता संख्या 7 खसरा नं0 2589 रकबा 2.58 है0, खसरा नं0 2620 रकबा 1.57 है0, कुल किता 2 रकबा 4.15 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम **अशोक कुमार पुत्र हरिशंकर जाति महाजन सा0 देह हजफ किया जाकर नवीन इन्द्राज अशोक कुमार पुत्र गुलाबचन्द जाति महाजन सा0 देह** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार मागंरोल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।